लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2569

16 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र क्षेत्र का प्रदर्शन

2569. श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:

श्री नरेश गणपत म्हस्के:
श्रीमती भारती पारधी:
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान भारत के वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र के निर्यात प्रदर्शन का उत्पाद एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय वस्त्र निर्यात पर अंतर्राष्ट्रीय कार्बन-सीमा एवं श्रम-अनुपालन विनियमों के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पुनर्चक्रण, इको-डाइंग और जल-दक्षता प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सतत एवं चक्रीय वस्त्र उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने परिधान-कारखाना एवं हथकरघा श्रमिकों, विशेषकर महिलाओं को सामाजिक-सुरक्षा एवं स्वास्थ्य-बीमा कवरेज प्रदान करने हेतु कोई योजना शुरू की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का निर्यात को ईएसजी मानकों के अनुरूप बनाने के लिए उद्योग, श्रम एवं पर्यावरण प्रतिनिधियों से युक्त एक "नेशनल टेक्सटाइल सस्टेनेबल काउंसिल" स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): पिछले 3 वर्षों के दौरान भारत का वैश्विक वस्त्र और परिधान निर्यात विवरण जिसमें हस्तशिल्प निर्यात भी शामिल है:

भारत का वैश्विक वस्त्र और परिधान जिसमें हस्तशिल्प निर्यात (मिलियन अमेरिकी डॉलर में मूल्य) शामिल है				
क्र. सं.	मदें	वित्तीय वर्ष 2022-2023	वित्तीय वर्ष 2023-2024	वित्तीय वर्ष 2024-2025
1	रेडीमेड परिधान	16,190.96	14,532.19	15,989.34
2	सूती वस्त्र	11,084.81	12,258.13	12,298.90
3	मानव निर्मित वस्त्र	5,411.98	5,080.64	5,294.60
4	ऊन और ऊनी वस्त्र	204.75	192.40	160.26
5	रेशम उत्पाद	94.56	119.25	162.09
6	हथकरघा उत्पाद	182.52	140.40	141.96
7	कालीन	1,366.11	1,395.15	1541.11
8	जूट उत्पाद	461.71	353.50	399.89
	कुल वस्त्र और परिधान निर्यात	34,997.40	34,071.65	35,988.16
9	हस्तशिल्प	1,688.58	1,802.29	1,766.83
	हस्तशिल्प निर्यात सहित कुल टी एंड ए	36,685.98	35,873.94	37,754.99

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस

हस्तशिल्प सहित वस्त्र तथा अपैरल क्षेत्रों का निर्यात वर्ष 2022-23 में 36.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 37.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसमें लगभग 1.49 प्रतिशत की कम्पाउन्ड वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की गई, जोकि वैश्विक आर्थिक बाधाओं के बावजूद अपेक्षाकृत लचीलेपन को दर्शाता है।

(ख): सरकार कार्बन-सीमा उपायों और श्रम-अनुपालन मानकों तथा भारत के परिधान और निर्यात पर संभावित प्रभाव सहित उभरते अंतरराष्ट्रीय नियामक ढांचे की बारीकी से निगरानी कर रही है। चूंकि वस्त्र उत्पाद वर्तमान में यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) के तहत कवर नहीं किए गए हैं, इसलिए इस क्षेत्र पर कोई सीधा प्रभाव नहीं देखा गया है। फिर भी, मंत्रालय, वाणिज्य विभाग और अन्य संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से, संभावित अप्रत्यक्ष प्रभावों और भावी घटनाक्रमों का आकलन कर रहा है। प्रमुख व्यापारिक भागीदारों द्वारा शुरू की गई श्रम संबंधी अनुपालन आवश्यकताओं की भी उद्योग हितधारकों के परामर्श से जांच की जा रही है। सरकार किसी भी संभावित प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए क्षमता निर्माण पहल और निरंतर नीतिगत जुड़ाव के माध्यम से निर्यातकों की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ग): वस्त्र मंत्रालय वस्त्र क्षेत्र में स्थिरता और सर्कुलेरिटी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल कर रहा है:

I. अपसाइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए, अपसाइकिल किए गए उत्पादों की सार्वजनिक खरीद को बढ़ावा देने और मुख्यधारा में लाने के लिए वस्त्र समिति, जीईएम और सार्वजनिक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन (स्कोप) के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

II. वस्त्र मूल्य श्रृंखला में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए, वस्त्र रीसाइकलिंग के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सर्किल बैक अभियान, भारत टेक्स 2024 और 2025 में वस्त्र कथा जैसी प्रदर्शनियों का आयोजन जैसे विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

(घ): महिलाओं सहित वे कामगार, जो गारमेंट कारखानों और हथकरघा इकाइयों में काम करते हैं और जो ईएसआई कवरेज के लिए निर्धारित वेतन सीमा से कम वेतन लेते हैं, यदि वे 10 या अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाली हथकरघा इकाइयों या गारमेंट फैक्टरियों में कार्य करते हैं, तो वे पहले से ही ईएसआई कवरेज के लिए पात्र हैं।

दिनांक 21.11.2025 से लागू सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार प्रतिष्ठान और असंगठित श्रमिकों के स्वैच्छिक कवरेज के लिए भी प्रावधान हैं।

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार देश भर में राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत हथकरघा बुनकरों/श्रमिकों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाओं को लागू कर रही है:

- 60 वर्ष से अधिक आयु के एवार्डी हथकरघा बुनकरों/श्रमिकों को जिनकी 1.00 लाख रुपये से कम की वार्षिक आय है और निर्धन परिस्थिति में जीवन-यापन कर रहे हैं, उन्हें प्रति माह 8,000/- रुपये की वित्तीय सहायता और हथकरघा बुनकरों/श्रमिकों के बच्चों (2 बच्चों तक) को केंद्र/राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त/वित्त पोषित वस्त्र संस्थान से डिप्लोमा/ अंडर ग्रेजुएट/ पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए प्रति वर्ष 2.00 लाख रुपये तक की छात्रवृत्ति की सहायता दी जाती है।
- प्राकृतिक/आकस्मिक मृत्यु के मामले में और बीमा योजनाओं के माध्यम से कुल/ आंशिक विकलांगता के मामले में सार्वभौमिक और किफायती सामाजिक सुरक्षा अर्थात प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) उपलब्ध है।

(ङ): वस्त्र मंत्रालय ने बहु हितधारक मंच के रूप में एक पर्यावरणीय, सामाजिक और शासी (ईएसजी) कार्यबल का गठन किया है, जिसमें उद्योग, श्रम और पर्यावरण के प्रतिनिधि शामिल हैं, लेकिन यह उन्हीं तक सीमित नहीं हैं। कार्यबल का उद्देश्य वस्त्र मूल्य श्रृंखला में प्रमुख हॉटस्पॉट की पहचान करना और वस्त्र और परिधान उद्योग के एक स्थायी और संसाधन-कुशल उत्पादन प्रणाली की ओर अंतरण के लिए सहायता प्रदान करना है। इस खंड में एक अलग "राष्ट्रीय वस्त्र स्थिरता परिषद" स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

***